कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–555162
E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 20/चार/2019/समान्य निर्देश/ 6983 भोपाल, दिनांक 2-4-2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं,
   जिला निर्वाचन अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–मतदान दिवस पर पुलिसकर्मियों की वर्दी/हथियार के संबंध में निर्देश।

संदर्भः–भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.464/म0प्र0–लो0स0/2019(निर्वा.तैया.)/ दिनांक 14.03.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्र. 20/चार/2019/समान्य निर्देश/4977 दिनांक 19.03.2019

–––000–––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे। दिनांक 27.03.2019 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए गए है कि मतदान के दिवस सेक्टर ऑफिसर के साथ जाने वाले वर्दीधारी पुलिसकर्मी/मोबाइल पुलिस कर्मी अपने शस्त्र बाहर रख कर मतदान केन्द्र में प्रवेश कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

कृपया तद्नुसार समस्त मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

1.4.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 20/चार/2019/समान्य निर्देश/ 6984 भोपाल, दिनांक 2-4-2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

1.4.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–555162
E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा..क्र. . 20/चार/2019/समान्य निर्देश/4977 भोपाल, दिनांक 19-03-2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं,
   जिला निर्वाचन अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन की तैयारी के संबंध में।

संदर्भः–भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.464/म0प्र0–लो0स0/2019(निर्वा.तैया.)/ दिनांक 14.03.2019

——000——

उपर्युक्त विषयक संदर्भित का पत्र दिनांक 14.03.2019 का अवलोकन हो, जिसमें दिनांक 05.03.2019 को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंस में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया था।

इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित किया है कि निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी के तहत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। अतः वह पुलिसकर्मी, जोकि उस मतदान केन्द्र की सुरक्षा हेतु तैनात नहीं है, मतदान करने हेतु मतदान केन्द्र के अन्दर हथियार लेकर नहीं जा सकता है।

अतः आगामी निर्वाचन में सर्वसंबंधितों को इस संबंध में निर्देश प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

19.3.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ. .क्र.. 20/चार/2019/समान्य निर्देश/4978 भोपाल, दिनांक 19-03-2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

19.3.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

मि0सं0 464/म0प्र0–लो0स0/2019 (निर्वा.तैया.)/ दिनांक :– 14 मार्च, 2019

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

विषयः– लोकसभा के आगामी सामान्य निर्वाचन, 2019 की तैयारी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषय पर उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ दिनांक 05.03.2019 को की गई वीडियों कॉन्फ्रेंस को सन्दर्भित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वीडियों कॉन्फ्रेंस में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था । इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134बी की ओर दिलाने का निदेश हुआ है, जिसके अनुसार किसी मतदान केन्द्र के सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदानकर्मियों तथा मतदान केन्द्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है । अतः वह सुरक्षाकर्मी, जोकि उस मतदान केन्द्र की सुरक्षा हेतु तैनात नहीं हैं, मतदान करने हेतु मतदान केन्द्र के अन्दर हथियार लेकर नहीं जा सकता है ।

3. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को मध्य प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के संज्ञान में ला दिया जाए ।

भवदीय,

संतोष कुमार

(संतोष कुमार)
अवर सचिव